



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता क्षेत्र
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS, KOLKATA ZONE
सीमा शुल्क भवन, 15/1 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता - 700001 (प.ब.)
CUSTOM HOUSE, 15/1 STRAND ROAD, KOLKATA - 700001 (W.B.)
Tel: 033-2242 1173 Fax: 033-2231 3289
Email: CCO: ccu-cuskoa@nic.in, CCA: cca.kolcus@gov.in

19-05-2025

रोजगार अधिसूचना संख्या 01/2025

सीमा शुल्क, मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क सदन, 15/1, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001 के कार्यालय में कर सहायक, हवलदार और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुलग्नक-1 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले मेधावी खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी आवेदन नीचे दिए गए पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने हैं। आवेदन पोर्टल रोजगार न्यूज/रोजगार समाचार में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर खुल जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि आवेदन पोर्टल के खुलने की तिथि से दो माह होगी। रिक्तियों की संख्या और पात्रता मानदंड आदि से संबंधित विवरण संलग्न हैं तथा पोर्टल पर भी अपलोड किए गए हैं।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर दिए गए लिंक www.kolkatacustoms.gov.in/www.kolkatacustomsrecruitment.com पर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक-1

सीमा शुल्क, मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क सदन, 15/1, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001 में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित सभी 65 खेल विधाओं में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए सीमा शुल्क, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क सदन, कोलकाता के कार्यालय में कर सहायक, हवलदार और एमटीएस के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन वेबसाइट www.kolkatacustoms.gov.in/ www.kolkatacustomsrecruitment.com पर दिए गए लिंक का उपयोग करके ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत होना चाहिए। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

1. वेतनमान/वेतन स्तर सहित पदों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	7वां सीपीसी के तहत वेतनमान
-------------	-----------	----------------------	----------------------------

1.	कर सहायक	10	वेतन मान - 4(रु..25500 सेरु.81100)
2.	हवलदार	14	वेतन मान - 1(रु.18000 सेरु.56900)
3.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	02	वेतन मान - 1(रु..18000 सेरु.56900)

2. पात्रता की शर्तें:

क्रम सं	पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान/वेतन स्तर	रिक्त पदों की संख्या	पात्रता	उम्र
1	कर सहायक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप-सी अराजपत्रित, अनुसचिवीय	सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (रु.25,500--रु.81,000/-)	10	शैक्षणिक योग्यता: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री ii) कम से कम 8000 कुंजी डिप्रेशन स्पीड प्रति घंटे की डेटा प्रविष्टि होनी चाहिए। नोट: डेटा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटे 8000 कुंजी डिप्रेशन स्पीड का आकलन कंप्यूटर पर गति परीक्षण करके किया जाएगा।	18 - 27 वर्ष (आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि 1 जनवरी, 2025 होगी) नोट:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अ.पि.व उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी।
2	हवलदार	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप-सी अराजपत्रित, गैर अनुसचिवीय	सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 (रु.18,000--रु.56,900/-)	14	शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से माध्यमिक। नोट:- अभ्यर्थी को निम्नलिखित शारीरिक मापदंड रखने होंगे तथा नीचे निर्धारित शारीरिक परीक्षण में उत्तीर्ण होना होगा। <u>1. शारीरिक मापदंड (न्यूनतम)</u> <u>पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:-</u> <u>ऊंचाई:</u> 157.5 सेमी. (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में 5 सेमी	18-25 वर्ष (आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि 1 जनवरी, 2025 होगी) नोट:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

					की छूट)। छाती:- 8 1 सेमी (न्यूनतम 0 5 सेमी विस्तार के साथ पूर्णतःविस्तारित). महिला अभ्यर्थियों के लिए:- शारीरिक मापदंड(न्यूनतम) ऊंचाई-152 सेमी वजन:- 48 किलोग्राम गढ़वालियों, असमिया, गोरखाओं और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में 2.5 सेमी और वजन में 2 किलोग्राम की छूट दी जाएगी। 2.शारीरिक परीक्षण: पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:- दौड़:1 5 मिनट में 1600 मीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए:- दौड़- 20 मिनट में 1 किमी	अ.पि.व उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 8वर्ष की छूट होगी।
3	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप-सी अराजपत्रित, गैर अनुसचिवीय	सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसार वेतन वर्गीकरण में लेवल-1 (रु.18,000-रु.56,900/-)	02	शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से माध्यमिक ।	18-25 वर्ष (आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि 1 जनवरी, 2025 होगी) नोट:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ऊपरी आयु सीमा में 05वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 10वर्ष की छूट दी जाएगी। अ.पि.व उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 8वर्ष की छूट होगी।

*यहां उत्कृष्ट का तात्पर्य डीओपीटी के दिनांक 18 नवंबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1668767575965 के पैरा ए.आई.(ए) में निर्दिष्ट खिलाड़ियों की श्रेणियों से है।

3. खेल पात्रता:

(a) निम्नलिखित खेलों/खेलकूद और स्थिति/प्रतियोगिताओं के संबंध में मेधावी खिलाड़ियों (पुरुष और महिला दोनों) से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

क्रम सं.	खेल का नाम	क्रम सं.	खेल का नाम
1	तीरंदाजी	2	एथलीट्स
3	आट्या-पाट्या	4	बेडमिंटन
5	बॉल-बैडमिंटन	6	बेसबॉल
7	बॉस्केटबॉल	8	बिलियर्ड्स स्नूकर्स
9	बॉडी -बिल्डिंग	10	बॉक्सिंग
11	ब्रीज	12	केरम
13	शतरंज	14	क्रिकेट
15	साइकिलिंग	16	साइकिलिंग पोलो
17	डीफ स्पोर्ट्स	18	इकुएस्टेरियन
19	फेनसिंग	20	फूटबॉल
21	गोल्फ	22	जिन्मास्टिक्स
23	हैंडबॉल	24	हॉकी
25	आइस-हॉकी	26	आइस-स्केटिंग
27	आइस-स्कीइंग	28	जूडो
29	कबड्डी	30	कराटे
31	कयाकिंग और कैनोइंग	32	खो-खो
33	कुडो	34	मलखंब
35	मोटर स्पोर्ट्स	36	नेटबॉल
37	पैरा स्पोर्ट्स (पैरा ओलंपिक और पैरा एशियाई खेलों सहित खेल क्षेत्रों के लिए)	38	पेनक सिलट
39	पोलो	40	पावरलिफ्टिंग
41	शूटिंग	42	शूटिंग बॉल
43	रोल बॉल	44	रोलर स्केटिंग
45	रोविंग	46	रग्बी
47	सेपकटाक्रो	48	सॉफ्ट बॉल
49	सॉफ्ट टेनिस	50	स्काश
51	स्विमिंग	52	टेबल टेनिस
53	टार्डकुंडों	54	टेनी-कोइट
55	टेनिस	56	टेनपिन बोलिंग
57	त्रिथोलोन	58	टग-ऑफ-वार
59	वालीबॉल	60	वेटलिफ्टिंग
61	उश्चू	62	कुश्ती
63	यार्टिंग	64	टेनिसबॉल क्रिकेट

65	योगासन्न		
----	----------	--	--

(b) ऐसे खिलाड़ीयों की नियुक्तियां की जाएंगी, जिसने किसी भी खेल/खेलकूद में भाग लिया हो (जैसा कि पैरा-3(ए) में उल्लेख किया गया है) और निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में मेधावी माना गया हो:-

- i) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो; या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता हो; या खेलो इंडिया यूथ गेम्स (18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) में पदक विजेता हो; या खेलो इंडिया विंटर गेम्स; या खेलो इंडिया पैरा गेम्स; या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक विजेता हो; या इन अनुदेशों में उल्लिखित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई), के किसी भी खेल में पदक विजेता हो।

शतरंज के लिए: ग्रैंड मास्टर (जीएम) खिताब, इंटरनेशनल मास्टर (आईएम) खिताब, शतरंज ओलंपियाड। आईएम/जीएम खिताब ओपन कैटेगरी जैसे महिला ग्रैंडमास्टर (डब्ल्यूजीएम) आदि में होना चाहिए। जबकि राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के रूप में माना जाता है, राष्ट्रीय टीम शतरंज चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रदर्शन पर भी भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

- ii) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्डों द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समय-समय पर संशोधित इन अनुदेशों में निर्दिष्ट किसी भी खेल में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।
- iii) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अखिल भारतीय स्कूल खेल महा संघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलों में, इन अनुदेशों में उल्लिखित किसी भी खेल/खेल में राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया हो।

ऐसी कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि अभ्यर्थी आवेदित पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र न हो, तथा विशेष रूप से पद के लिए लागू भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित आयु, शैक्षिक या अनुभव योग्यता के संबंध में पात्र न हो, सिवाय उस सीमा तक जिस तक आवेदक जिस वर्ग/श्रेणी, जिससे से संबंधित है, के संबंध में छूट दी गई है।

(c) वरीयता क्रम:-

टूर्नामेंटों/प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन महत्व के आधार पर निम्नलिखित अवरोही क्रम में किया जाएगा:

(a) उन उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिन्होंने खेल विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की मंजूरी के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

(b) अगली वरीयता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने खेल विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो। सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप/खेलों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से, सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

(c) अगली वरीयता उन लोगों को दी जाएगी, जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय संघ/अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड

द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या खेल विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्राधिकरण से आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या फाइनल में तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।

(d) अगली वरीयता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने खेल विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्राधिकरण के साथ आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स (18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) या खेलो इंडिया विंटर गेम्स या खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या फाइनल में तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।

(e) अगली वरीयता उन खिलाड़ियों को दी जाएगी जिन्होंने अखिल भारतीय स्कूल खेल महा संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल/स्कूली खेलों में राज्य के स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीते हों या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।

(f) अगली वरीयता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने (बी) से (ई) श्रेणियों में उल्लिखित स्तर पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / विश्वविद्यालय / राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उसी वरीयता क्रम में पदक या स्थान नहीं जीत सके।

नोट 1: समानता की स्थिति में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले या एक से अधिक पदक जीतने वालों को वरीयता दी जा सकती है।

नोट 2: व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा/मद में भागीदारी को समान प्राथमिकता दी जा सकती है।

नोट 3: एक से अधिक पदक/स्थान जीतने पर कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

नोट 4: किसी टूर्नामेंट की स्थिति के बारे में किसी भी संदेह की स्थिति में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और खेल विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के परामर्श द्वारा मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

(d) खिलाड़ियों की भर्ती के लिए पात्रता पर प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची:

दक्षता का मूल्यांकन केवल कैलेंडर वर्ष **2024, 2023 और 2022** में मान्यता प्राप्त टूर्नामेंटों/प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए प्रस्तुत किए गए फॉर्म और प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा।

भागीदारी/उपलब्धियों के ऐसे प्रमाण-पत्र जिनके लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रपत्र संलग्न नहीं हैं, उन पर दक्षता के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमांक	प्रतियोगिता	प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी	वह प्रपत्र जिसमें प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना है।
1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महा संघ के सचिव	1
2.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महा संघ का सचिव या राज्य संघ का सचिव	2
3.	अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के खेल डीन या खेलों के समग्र प्रभार से संबंधित अन्य अधिकारी	3
4.	राष्ट्रीय/खेल/स्कूल के लिए खेल	राज्य के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय में विद्यालयों के लिए खेल/खेलों के समग्र प्रभारी निदेशक या अपर/संयुक्त या उप निदेशक	4
5.	खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/ खेलो इंडिया यूथ गेम्स/ खेलो इंडिया विंटर गेम्स/ खेलो इंडिया विंटर	खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) से नामित	5

गेम्स/ खेलो इंडिया पैरा गेम्स/अधिकारी/प्रभारी अधिकारी।	
--	--

खिलाड़ी, जो उपरोक्त पैरा 3(सी) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें पैरा 3(ई) में निर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्म संख्या 1 से 5 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. अभ्यर्थियों का चयन:-

आवेदनों की जांच की जाएगी तथा पात्र अभ्यर्थियों को पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2022, 2023 तथा 2024) में उनके प्रदर्शन, आयु तथा संबंधित खेल स्पर्धाओं में उनके करियर में उच्चतर उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को उनके आवेदन के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में, केवल उन्हीं दस्तावेजों पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिनकी प्रतियां संबंधित आवेदक द्वारा आवेदन करते समय पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हो। उसके बाद प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, आवेदन पत्र में दी गई अन्य जानकारी के पुष्टि में प्रासंगिक मूल दस्तावेज भी उस समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को संबंधित खेल स्पर्धाओं में उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए ग्राउंड प्रवीणता परीक्षण/कौशल परीक्षण में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा।

नियुक्ति के लिए अंतिम चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जो कि संबंधित उम्मीदवारों के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन, उनके कैरियर में सर्वोच्च उपलब्धि, आयु और ग्राउंड प्रवीणता परीक्षा/कौशल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

उम्मीदवारों को प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधान के अनुरूपकर सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में डेटा प्रविष्टि कौशल परीक्षण के लिए भी अर्हता प्राप्त करनी होगी।

सिर्फ ग्राउंड प्रवीणता परीक्षण/कौशल परीक्षण में पास होना नियुक्ति का अधिकार नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग आवश्यक जांच के पश्चात् संतुष्ट न हो जाए कि वे अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं।

चुने गए (शॉर्टलिस्ट किए गए) उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों को मूल रूप में सत्यापित फोटोकॉपी सहित (राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे नहीं) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- यदि उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित किसी भी खेल/खेलकूद में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो विभाग नियुक्ति के लिए ऐसे खेलों/खेलकूदों पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

5. परिवीक्षा अवधि:- उपर्युक्त सभी पदों की परिवीक्षा अवधि 2 (दो) वर्ष की होगी। कर सहायक के पद के लिए चयनित खिलाड़ियों को परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पहले विभागीय परीक्षा के साथ-साथ पुष्टि पर डाटा प्रविष्टि गति परीक्षण पास करना आवश्यक है।

6. यात्रा भत्ता:- आवेदकों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा और उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपने रहने और यात्रा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

7. आवेदन:- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रारंभिक और अंतिम तिथि www.kolkatacustoms.gov.in

के वेबसाइट में उल्लिखित की जाएगी।

8. संलग्नक: - शैक्षिक योग्यता और मेधावी खिलाड़ी आदि का मानक प्राप्त करने से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ अपलोड किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को इन जातियों और जनजातियों से संबंधित होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को आयु प्रमाण - पत्र, निवास प्रमाण -पत्र, आधार कार्ड तथा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

9. अन्य: -

- i. उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से उनके चयन/भर्ती के संबंध में कोई भी प्रचार या कोई अन्य बाहरी प्रभाव अयोग्य माना जाएगा।
- ii. नियुक्ति के बाद चयनित उम्मीदवारों को कोलकाता सीमा शुल्क क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी।
- iii. ऐसे खिलाड़ी जो पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पी.एस.यू. में कार्यरत हैं, उन्हें मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर संलग्न करना होगा। विभागीय उम्मीदवारों को अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजने होंगे।
- iv. अपूर्ण आवेदन या बिना अपेक्षित अनुलग्नक वाले आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा तथा इस मामले में आवेदक के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। सत्यापन या मूल दस्तावेजों तथा ग्राउंड प्रवीणता परीक्षा / कौशल परीक्षा की तारीख और समय उम्मीदवारों को केवल मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
- v. उम्मीदवारों के पास 01.01.2025 तक संबंधित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करते समय अंतिम मार्कशीट और/डिग्री प्रमाण -पत्र अपलोड किए जाने चाहिए।
- vi. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए चयनित होता है, तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसकी पात्रता के अधीन उसे निम्नलिखित क्रम में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग अपना अधिकार सुरक्षित रखेगा।

1. कर सहायक 2. हवलदार 3. मल्टी-टास्किंग स्टाफ

vii. भर्ती समिति कार्यालय की आवश्यकता और अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी।

viii. अभ्यर्थी या तो निम्न में से कोई एक होना चाहिए:

- a) भारत का नागरिक, या
 - b) नेपाल का नागरिक, या
 - c) भूटान का नागरिक, या
 - d) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास कर आया हो।
 - e) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणी (बी), (सी) और (डी) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो
 - f) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव केवल तभी दिया जाएगा, जब भारत सरकार द्वारा उसे (इसके बाद 'उसे' के रूप में पढ़ा जा सकता है) आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा, जब भारत सरकार द्वारा उसे (इसके बाद इसे 'उसे/उसे' के रूप में पढ़ा जा

सकता है) आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो।

Himangsu Santra
ASSISTANT COMMISSIONER
O/o Pr Commissioner-Customs-Air Port & ACC-Kolkata
संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी
सीमा शुल्क सदन, कोलकाता

फार्म:-1

(मान्यता प्राप्त खेल / खेलों में से किसी एक में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए।)

_____ राष्ट्रीय संघ /राष्ट्रीय संगठन

केंद्र सरकार के तहत ग्रुप सी एवं डी सेवा में रोजगार हेतु एक मेधावी खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया कि श्री/श्रीमती/कुमार _____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ निवासी

_____ (पूर्ण पता) _____
ने _____ से _____ तक _____ आयोजित प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के खेल/इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा _____ स्थान प्राप्त किया।

यह प्रमाण पत्र _____ राज्य संगठन के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर दिया जा रहा है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____

दिनांक _____ नाम _____

पदनाम _____

संगठन /राष्ट्रीय का नाम

संगठन का नाम.....

पता _____ मुहर _____

नोट: यह प्रमाणपत्र केवल तभी मान्य होगा जब सचिव, राष्ट्रीय महासंगठन /राष्ट्रीय संगठन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए गए हो।

फार्म:-2

(मान्यता प्राप्त गेम / खेलों में से किसी एक में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए।)

राज्य संगठन _____ में
_____ खेल _____

केंद्र सरकार के तहत ग्रुप सी एवं डी सेवा के रोजगार हेतु मेधावी खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया कि श्री/श्रीमती/कुमार _____
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
निवासी _____ से _____
तक _____ के राज्य का प्रतिनिधित्व किया
_____ के खेल/इवेंट में _____
आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता टूर्नामेंट में/
-.

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा _____ स्थान प्राप्त किया।
यह प्रमाण पत्र _____ राज्य संगठन के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर दिया जा रहा है।
स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
राज्य का नाम _____
संगठन _____
पदनाम _____
पता _____

मुहर _____

नोट: यह प्रमाणपत्र केवल तभी मान्य होगा जब सचिव, राष्ट्रीय महासंघ /राष्ट्रीय संगठन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए गए हों।

फॉर्म 3

(मान्यता प्राप्त गेम / खेलों में से किसी एक में अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।)

_____ विश्वविद्यालय
केंद्र सरकार के तहत ग्रुप सी एवं डी सेवा के रोजगार हेतु एक मेधावी खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।
प्रमाणित किया कि श्री/श्रीमती/कुमार _____
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
निवासी _____
छात्र _____ से _____ तक _____ आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय

प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के इंटर गेम/इवेंट में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा _____ स्थान प्राप्त किया।

विश्वविद्यालय में खेल के डीन या खेल के समग्र प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____

दिनांक _____ नाम _____

पदनाम _____

विश्वविद्यालय का नाम _____

पता _____

मुहर _____

-

फॉर्म - 4

राज्य के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय

केन्द्र सरकार के अधीन ग्रुप सी एवं डी सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री
श्री _____ निवासी _____
छात्र (पूरा पता) _____
_____ स्कूलों के लिए _____ से
_____ तक आयोजित राष्ट्रीय खेलों के खेल/प्रतियोगिता में राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया .

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में वैयक्तिगत/समूह द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण पत्र _____ के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दिया जा रहा है।

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

नाम _____

पदनाम _____

पता _____

मुहर _____

नोट: यह प्रमाण पत्र तभी वैध होगा जब राज्य के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय में विद्यालयों के लिए खेल/खेलों के समग्र प्रभार में निदेशक या अपर/संयुक्त या उप निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया गया हो।

फॉर्म-5

(खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लेने हेतु)

केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवा में रोजगार हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाणपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ निवासी _____ विद्यार्थी _____ ने _____ के विश्वविद्यालय/संस्थान/विद्यालय की ओर से दिनांक _____ से _____ तक _____ आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लिया। उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/समूहगत प्राप्त स्थान _____ था। यह प्रमाणपत्र कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दिया जा रहा है।

स्थान _____	हस्ताक्षर _____
दिनांक _____	नाम _____
	पदनाम _____
	पता _____
	मुहर _____

नोट: यह प्रमाणपत्र तभी वैध होगा जब यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित हो।

Signed by
Himangsu Santra
Date: 19-05-2025 15:42:21

